संख्या-185 /XXVI /P.M.G.Y.(AWAS)/04-45/नि03अनु0/2004

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तरांचल, पौड़ी।

नियोजन अनुभाग।

देहरादूनः दिनांकः 24 मई, 2004

विषय- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास हेतु वित्तीय वर्ष 2003-04 में स्वीकृति द्वितीय किस्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2004-05 में केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 384/45-नि03अनु0-02/पीएमजीवाई (आ0 आ0)/03,दिनांक 18 अक्टूबर, 2003 तथा वित्त मंत्रालय भारत सरकार, के पत्र संख्या-44(1) पी0 एफ0 आई0/2003-342, दिनॉक 29 मार्च, 2004 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0जी0वाई0 के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 ग्रामीण आवास के लिए उपरि सन्दर्भित शासनादेश द्वारा रू0 3.00 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा रू0 1.50 करोड़ प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत किये गये थे शेष धनराशि रू0 1.50 करोड चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में द्वितीय किस्त के रूप में संलग्न विवरण में जनपदों को आवंटनानुसार अंकित धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्यतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तब ही किया जायेगा जब उपरि उल्लिखित शासनादेश द्वारा विगत वर्ष स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग कर लिया जाय जिन जनपदों द्वारा विगत वर्ष की धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया हो तो वे ही उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विपरीत आवंटित धनराशि का आहरण कर सकते है।

3- कार्य की गुणत्तता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तारदायित्व सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी का ही माना जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके यथा आवश्यकतानुसार ही दो अथवा तीन किश्तों में ही किया जायेगा। निर्माण कार्य से संबंधित योजनाओं के आगणन सक्षम तकनीकी निर्माण एजेन्सी लोक निमार्ण विभाग की दरों पर बनवाकर उस पर सक्षम स्तर के तकनीकी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय केन्द्र से प्राप्त सहायता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत अनुमोदित स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि की जनपदवार फॉट भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आपके स्तर से की जायेगी तथा इसका आवंटन एवं व्यय वर्तमान नियमों/आदेशों तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

7- उक्त योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय-2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

8- उक्त प्रस्तर-2 से 4 में उल्लिखित शर्तो के अनुपालन में विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक एवं मुख्य वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करते हुए मुख्य ... लेखा रखेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित

वित्त/नियोजन विभाग को दी जायेगी। उक्त धनराशि के उपभोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही दूसरी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

9— व्यय उन्हीं योजनाओं पर जनपदवार फॉट के अनुसार किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

10— व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर/कोटेशन का अनुपालन किया जायेगा।

11— स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार को यथा समय उपलब्ध कराते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

12— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004—05 के अनुदान संख्या—07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक—3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें—00 आयोजनागत—092—अन्य कार्यालय—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें —01—प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

13— यह स्वीकृति वित्त विभाग अशासकीय संख्या— 252 /वि0अनु0—3/2004 दिनांक 18 मई, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या:—185 (1)/XXVI /P.M.G.Y.(AWAS)/04—45/नि0अनु0/2004/04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आय—व्ययक अनुभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29 मार्च, 2004 के कम में।
3— निदेशक, (आर0डी0) योजना आयोग, योजना भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
5— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6— समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7— आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
5— निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
6— श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
9— वित्त अनुभाग—3, उत्तरांचल शासन।
10— समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल, देहरादून।
11— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0जोशी)
उप सचिव।

C:\Mohit\pmgy

शासनादेश संख्या–185 /XXVI/P.M.G.Y.(AWAS)/04–45/नि0अनु0/2004, दिनांक 26-05-~~मार्च~~, 2004 का संलग्नक–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	जनपद का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि
1	हरिद्वार	9.00
2	देहरादून	9.80
3	उत्तरकाशी	10.55
4	पौड़ी	17.80
5	रूद्रप्रयाग	9.25
6	चमोली	13.09
7	चम्पावत	9.25
8	बागेश्वर	9.25
9	उधमसिंह नगर	14.40
10	अल्मोड़ा	16.61
11	पिथौरागढ़	17.96
12	टिहरी	13.04
योग–(रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र)		150.00

आज्ञा से,

(जे0पी0जोशी)
उप सचिव।

c:\Mehta\pmg